संख्या- 22/2018/2291/बयालिस-2018-19(बजट)/2013

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 19 नवम्बर, 2018**

विषय:- **गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्तरिम बजट में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-1061/लखनऊ स्पो0का0/2018-19, दिनांक 17.10.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2018-19 में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ हेतु "20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 425.00 लाख के सापेक्ष रू0 212.50 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-912/बयालिस-2018-19(बजट)/2013, दिनांक 16.04.2018 द्वारा निर्गत की गयी थी। प्रथम छमाही हेतु स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय छमाही के व्यय को वहन करने हेतु रू0 212.50 लाख (रूपया दो करोड बारह लाख पचास हजार मात्र) की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। प्रतिबद्व मदों पर व्यय वहन हो जाने के पश्चात ही मितव्ययी मदों पर व्यय किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षो की देन्दारियों पर नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक खेल द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृति अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 में दिये गये अद्यावधिक नियम भी लागू होगें। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मदवार व्यय विवरण सहित बी0एम0-13 प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-राजस्व लेखा-104-खेलकूद-23-स्पोर्टस कालेज को अनुदान- 2302- स्पोर्टस कालेज लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-1580/दस-2018, दिनांक- 16 नवम्बर, 2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 22/2018/2291/बयालिस-2018-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
5- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।